संख्या-7/2025/I/1056789/2025-02-5099/1/2021

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ। 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। 4- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0प्र0
5- I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक:13.08.2025

विषयः- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के नियम-16(2) के अन्तर्गत ससमय **IPR's online submit किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के .DO No.-142/13/2022-AVD-IA, दिनांक 03.07.2025, 17.07.2025 ***(प्रति संलग्न)*** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा SPARROW Module (online filing of IPR) के परिप्रेक्ष्य में **पूर्व निर्गत आदेशों का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया है, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-**

"-------- In terms of Rule 16(2) of AIS (conduct) Rules, 1968, every member of the Indian Administrative Service (IAS) is required of submit annual Immovable Property Return (IPR) by 31st January of each year. Failure on part of the members of the Service to comply with the requirment of the aforesaid provision constitutes good and sufficient reason for, inter-alia, institution of disciplinary proceedings against them.-"

2- अवगत ही हैं कि ससमय IPR दाखिल किया जाना **MANDATORY है** तथा MINISTRY OF PERSONNEL,PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS(Department of personnel and training) द्वारा इस संबंध में NOTIFICATION दिनांक 30 दिसम्बर,2021 भी निर्गत है । सूच्य है कि appointment in next level of pay in pay matrix में इन तथ्यों का संज्ञान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय-समय पर DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत उक्त निर्देश (पत्र दिनांक 03.07.2025, 17.07.2025) का संज्ञान लेते हुए **IPR's online (By**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

eSigning the IPR) निर्धारित समयावधि (प्रत्येक वर्ष के 01 January से 31st January तक) के अंदर अनिवार्य रूप से submit करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,
(विजय कुमार)
विशेष सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उक्त DO No.-142/13/2022-AVD-IA, दिनांक 03.07.2025, 17.07.2025 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(विजय कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

प्रेषक,

विजय कुमार
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ। 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0
3- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/ सचिव/विशेष सचिव, उ0प्र0 शासन। 4- समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उ0प्र0
5- I.A.S. संवर्ग के शेष समस्त अधिकारी (नाम से)

नियुक्ति अनुभाग-5 लखनऊ:दिनांक:**13-08-2025**

विषयः- अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियमावली-1968 के नियम-16(2) के अन्तर्गत ससमय **IPR's online submit** किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के DO No.-142/13/2022-AVD-IA, दिनांक 03.07.2025, 17.07.2025 ***(प्रति संलग्न)*** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा SPARROW Module (online filing of IPR) के परिप्रेक्ष्य में पूर्व निर्गत आदेशों का उल्लेख करते हुए निर्देशित किया गया है, जिसका आपरेटिव अंश निम्नवत् है:-

"-------- In terms of Rule 16(2) of AIS (conduct) Rules, 1968, every member of the Indian Administrative Service (IAS) is required to submit annual Immovable Property Return (IPR) by 31st January of each year. Failure on part of the members of the Service to comply with the requirement of the aforesaid provision constitutes good and sufficient reason for, inter-alia, institution of disciplinary proceedings against them. –''

2- अवगत ही हैं कि ससमय IPR दाखिल किया जाना **MANDATORY** है तथा MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (Department of Personnel and Training) द्वारा इस संबंध में NOTIFICATION दिनांक 30 दिसम्बर, 2021 भी निर्गत है। सूच्य है कि appointment in next level of pay in pay matrix में इन तथ्यों का संज्ञान लिया जाता है। इसके अतिरिक्त मामले में अन्य संगत निर्देश भी समय-समय पर DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत किये गये हैं।

3- अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया DoPT, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा निर्गत उक्त निर्देश (पत्र दिनांक 30.12.2021 03.07.2025, 17.07.2025) का संज्ञान लेते हुए **IPRs online** निर्धारित समयावधि **(प्रत्येक वर्ष के 01 January से 31st January तक)** के अंदर अनिवार्य रूप से **submit** करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय
Digitally signed by VIJAY KUMAR
(विजय कुमार)
विशेष सचिव
Date: 13-08-2025 12:33:35

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. ADDITIONAL SECRETARY, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके उक्त DO No.-142/13/2022-AVD-IA, दिनांक 03.07.2025, 17.07.2025 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. निजी सचिव, प्रमुख सचिव/ विशेष सचिव, नियुक्ति विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. गार्ड बुक।

आज्ञा से,
(विजय कुमार)

NO.22484/MS/GI/2025

अविनाश जोशी, भा.प्र.से.
अपर सचिव
Avinash Joshi, I.A.S.
Additional Secretary
Phone : 011-23094276
E-mail : avinashp.joshi@nic.in

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली–110001
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSION
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

D.O. No. 142/13/2022-AVD-IA **Dated : 03rd July, 2025**

Dear Sir / Ma'am,

As you are aware, in terms of rule 16(2) of AIS (Conduct) Rules, 1968, every member of the Indian Administrative Service (IAS) is required to submit annual Immovable Property Return (IPR) by 31st January of each year. Failure on part of the members of the Service to comply with the requirement of the aforesaid provision constitutes good and sufficient reason for, inter-alia, institution of disciplinary proceedings against them. Further, vide notification dated 30.12.2021, Rule 3(1) of IAS (Pay) Rules, 2016 has been amended to make timely filing of IPR mandatory for being considered for appointment to the next level of pay matrix.

2. This Department had introduced online filing of IPR in respect of IAS officers w.e.f. 01.01.2017 through the SPARROW module. This module closes automatically on 31st January every year. It is a matter of immense satisfaction that the officers are submitting their IPR either electronically or uploading scanned copy of the manually filled-in IPR, over the years. Further, it is noticed that there are some cases where the officers are not able to file their IPR within the prescribed timeline due to various reasons viz. technical glitches, non-receipt of OTP etc. Therefore, the IAS Officers may be suitably sensitized to complete the process of filing of IPR within time and avoid last minute delay.

3. In view of the aforesaid background, I shall be grateful if you would issue necessary instructions to all IAS offices working in your Cadre to ensure that they submit their IPRs online on SPARROW within the prescribed timeline.

Regards.

Yours sincerely,

(Avinash Joshi)
3/7/25

(एस० देवराज)
प्रमुख सचिव
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग

(अमृता सोनी)
प्रमुख स्टाफ अधिकारी
मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन

To,
Chief Secretaries of all State Governments
2. Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs

(विजय कुमार)
विशेष सचिव,
नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग
उत्तर प्रदेश शासन

सूचना का अधिकार

http://dopt.gov.in

मनोज कुमार द्विवेदी, भा.प्र.से.
Manoj Kumar Dwivedi, IAS
अपर सचिव
Additional Secretary
टेली/Tel. : 2309 2158

सत्यमेव जयते

आज़ादी का अमृत महोत्सव

Reminder-I

भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
नॉर्थ ब्लाक, नई दिल्ली-110001
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
NORTH BLOCK, NEW DELHI-110001

D.O. No. 142/13/2022-AVD-IA **Dated: 17th July, 2025**

Dear Sir / Madam,

It is in continuation to earlier DO letter dated 03.07.2025 regarding timely filing of IPR in respect of IAS officers.

2. I would like to request you that instructions of DOPT notification dated 30.12.2021 regarding timely filing of IPR for consideration of appointment in next level of pay in the pay matrix may be complied to and a compliance report may be furnished in this regard by 10th August, 2025. It is also advised that disciplinary action may be taken against the officers who have failed to file IPR on time.

With warm regards,

Yours Sincerely,

(Manoj Kumar Dwivedi)

To

1. Chief Secretaries of all State Governments
2. Joint Secretary (UT), Ministry of Home Affairs